ारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन–0651–2400493, फैक्स–0651–2400492, ई–मेल–dirjharkhandtourism@gmail.com

"Life Saving Techniques-Water Sports (LST-WS) & Power boat Handling-Tiller (PBH-T) Training"

कार्यक्रम हत् विज्ञापन

ज्ञापांक सं० : **503**/ रॉंची, दिनांक :–**15.06.2023**/

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान, गोवा के सहयोग से झारखण्ड राज्य के जलाशयों/जलप्रपातों के निकट रहने वाले स्थानीय नाविक एवं पर्यटन मित्र, जिनकी आयु दिनांक–**31.03.2023** को न्यूनतम **18** वर्ष एवं अधिकतम **50** वर्ष के मध्य हो, हेतु खेलगाँव, राँची/कांके जलाशय, राँची में **"Life Saving Techniques-Watersports (LST-WS) & Power boat Handling-Tiller (PBH-T) Training"** कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 01 (एक) माह का होगा जिसमें नये प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के साथ–साथ **License Revalidation/Renewal** कार्यक्रम भी किया जायेगा। प्रशिक्षण की शुरूआत दिनांक–16.06.2023 से होनो थी, परन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणवश अब उक्त प्रशिक्षण की शुरूआत दिनांक–04.07.2023 से होगी। प्रशिक्षण का संशोधित कार्यक्रम एवं कोर्स विवरणी निम्नवत है :–

Schedule

Batch No.	Date	Course
1	04 – 13 July, 2023	Lifesaving Techniques – Watersports Operator (New & Renewal)
		Powerboat Handling – Tiller (New & Renewal)
2	15 July – 24 July, 2023	Lifesaving Techniques – Watersports Operator (New & Renewal)
		Powerboat Handling – Tiller (New & Renewal)
3	26 July – 04 August, 2023	Lifesaving Techniques – Watersports Operator (New & Renewal)
		Powerboat Handling – Tiller (New & Renewal)
4	06 – 15 August, 2023	Lifesaving Techniques – Watersports Operator (New & Renewal)
		Powerboat Handling – Tiller (New & Renewal)

- इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।
- यह पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण है, उक्त प्रशिक्षण के समाप्ति पर सफल उम्मीदवारों को License दिया जाएगा, जिसकी वैधता दो (02) वर्षों की होगी।
- प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों को नीचे अंकित विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड के जलाशयों के 5 से 10 कि०मी० की दूरी पर रहने वाले स्थानीय नाविकों/पर्यटन मित्रों को **''पहले आये पहले पाये''**(First Come First Serve) के आधार पर किया जाएगा।
- साधारण डाक/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथो–हाथ आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि **28.06.2023** है।
- उम्मीद्वार आवेदन प्रपत्र **(Application Form)** विभागीय वेब साईट **(https://tourism.jharkhand.gov.in)** से डाउनलोड कर सकते हैं।
- **उम्मीद्वार के चयन में निम्न शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा :–**

  (i) उम्मीदवार के लिये पूर्ण तैराकी अनिवार्य है, 3 मिनट में 100 मीटर की तैराकी आवश्यक पात्रता–शर्त्त है। इसके बिना उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

  (ii) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना चाहिए तथा उसकी आयु **18** से **50** वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  (iii) उम्मीदवारों के चयन में वरीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे वे भविष्य में अधिकतम आयु के प्रतिबंध से प्रभावित न हो।

ह०/–

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय, राँची।

<u>आवेदन पपत्र</u>

"Life Saving Techniques-Watersports (LST-WS) & Power boat Handling-Tiller (PBH-T) Training"

स्व अभिप्रमाणित

1. नाविक/पर्यटक मित्र का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....

    ....

4. वर्तमान पता : ....

    ....

5. लिंग (पुरूष/महिला) : ....
6. फोन नं०/मो० नं० : ....
7. निकटतम जलाशय/जलप्रपात का नाम : ....
8. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
9. जन्म तिथि/उम्र (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
10. आरक्षण कोटि (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
11. अनुभव (यदि हो) (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
12. आधार संख्या (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं सत्य एवं निष्ठा के साथ घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पायी जाएगी तो इसके लिए मैं उत्तरदायी/दण्ड का भागी बनूँगा/बनूँगी।

स्थान : ....

तिथि : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट : अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर तथा संबंधित लिफाफे के ऊपर **"Life Saving Techniques-Watersports (LST-WS) & Power boat Handling-Tiller (PBH-T) Training"** अंकित कर पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को साधारण डाक/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाए अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथो–हाथ उपलब्ध कराया जाए।